बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0स0–4 / निदे0अनु0जाति आ0वि0(राज्य स्कीम)संधा0–46–04 / 2025– 293

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 27.01.2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अंन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, महकार, गया के संधारणार्थ चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं विद्युत प्रभार मदों में कुल राशि ₹31,39,000 / –(इकतीस लाख उनचालीस हजार रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत।

2– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय महकार, गयाजी के संधारणार्थ द्वितीय अनुपूरक आगणन के तहत् चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं विद्युत प्रभार मदों में कुल राशि ₹31,39,000 / –(इकतीस लाख उनचालीस हजार रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3–स्वीकृत राशि का व्यय राज्य स्कीम से मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यको का कल्याण–उप मुख्यशीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन–उपशीर्ष–0102–आवासीय विद्यालय–विषय शीर्ष–0102. 01.06–चिकित्सा भत्ता, 0102.06.01–चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं 0102.13.04–विद्युत प्रभार मद में मांग संख्या–44–विपत्र कोड सं0–44–2225010010102 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3– इस स्वीकृत राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, गयाजी होंगे तथा उपविकास आयुक्त, गयाजी इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17–04–1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र एवं परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6– राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होगें तथा वे व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

7–प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन संचिका सं0–4 / निदे0अनु0जातिआ0वि0 (राज्य स्कीम) संधा0–46–04 / 2025– के पृष्ठ– 16/e / टि0 पर प्राप्त है।

8–कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(हस्ताक्षर) 14.01.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–4 / निदे0अनु0जातिआ0वि0(राज्य स्कीम)संधा0–46–04 / 2025– 293 पटना, दिनांक– 27.01.2026

प्रतिलिपिः–(1) वित्त विभाग, बजट शाखा / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) जिला कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / आयुक्त, मगध प्रमंडल, गयाजी / जिला पदाधिकारी, गयाजी / उप विकास आयुक्त, गयाजी / उप निदेशक कल्याण, मगध प्रमंडल, गयाजी / उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सभी सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग / आई0 टी0 मैनेजर, / सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- .01.26

सरकार के सचिव।